

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-7
संख्या-29/2018/ 1862/अड़तीस-7-2018-45नरेगा/2007
बखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या-10सन्1897) की धारा-21 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या-42, सन् 2005) की धारा-32 की उप-धारा(2) के खण्ड(ग) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-677/38-7-2013-45नरेगा/2007 दिनांक 21 फरवरी, 2013 का अधिक्रमण करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-32 की उप-धारा(1) की अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक: से 15 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जायेंगे।

नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आपत्तियों और सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रारूप नियमावली
उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद नियमावली, 2018

1-संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं

2-(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या-42, सन् 2005) से है ;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ग) "सदस्य-सचिव" का तात्पर्य राज्य परिषद् के सदस्य-सचिव से है;

(घ) "राज्य परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी राज्य परिषद् से है;

(ङ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है;

(च) "योजना" का तात्पर्य धारा-4 की उप-धारा(1) के अधीन बनायी गयी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उत्तर प्रदेश से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और योजना में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3- राज्य
परिषद् की
संरचना

राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(क) पदेन सदस्य:-

1-	कृषि उत्पादन आयुक्त	उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष(पदेन)
2.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
4.	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
6.	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
7.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
8.	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
9.	प्रमुख सचिव, वन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
10.	प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
11.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
12.	प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
13.	प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
14.	प्रमुख सचिव, रेशम उत्पादन विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
15.	प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
16.	निदेशक, (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) सामाजिक लेखा-परीक्षा संगठन	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
17.	आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश	सदस्य(पदेन)
18.	रोजगार गारण्टी आयुक्त	उत्तर प्रदेश	सदस्य- सचिव(पदेन)

(ख) नियम-4 के उप-नियम(2) के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बारह गैर-सरकारी सदस्य।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये निबंधन और शर्तें-

4-(1) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और पदेन सदस्य वही होंगे, जैसा कि नियम-3 में उल्लिखित है।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठन और अलाभकारी समूहों में से राज्य सरकार द्वारा नामांकन द्वारा किया जायेगा, परन्तु यह कि गैर-सरकारी सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, एक तिहाई गैर-सरकारी सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों

से संबंधित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और इन सदस्यों के शेष एक तिहाई सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से होंगे:-

एक. एक सदस्य कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे कि अधिनियम की अनुसूची एक के अधीन सूचीबद्ध या अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, वन रोपण और वृक्षारोपण तथा ग्रामीण अभियांत्रिकी, में विशेषज्ञ होगा।

दो. एक सदस्य सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा, और,

तीन. एक सदस्य मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा।

चार. उपनियम(2) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि एक वर्ष के लिये होगी।

पांच. गैर सरकारी सदस्य यथास्थिति राज्य सरकार के अधिकारियों और सेवकों के लिए अनुज्ञेय दरों पर राज्य परिषद की बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

छ: गैर सरकारी सदस्य भी राज्य परिषद की बैठकों के लिये या किसी अन्य सरकारी कार्यों, जिसमें वे लखनऊ स्थित मुख्यालय में या राज्य परिषद द्वारा आमंत्रित किये जाने पर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होते हैं, के लिए एक हजार रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय प्राप्त करने के हकदार होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के त्याग पत्र आदि

5-(1) कोई गैर-सरकारी सदस्य

किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(2) राज्य सरकार किसी गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ; या

(ङ) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है; या

(च) वह अपने नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय या अध्यक्ष की अनुमति के बिना राज्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

(3) किसी गैर-सरकारी सदस्य के त्याग-पत्र, मृत्यु, उसे हटाये जाने के कारण या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को उसी वर्ग से भरा जायेगा जिसका वह सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहा था और नया नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह सदस्य जिसके स्थान पर वह आया है, पद धारण करने का हकदार होता, यदि रिक्ति न हुई होती।

राज्य परिषद् की बैठकें और उसकी गणपूर्ति

6-(1) राज्य परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार या अधिक बार जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए, बैठकें करेगी:

परन्तु यह कि राज्य परिषद् की क्रमवर्ती दो बैठकों के बीच छः महीनों का अंतराल नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन राज्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) राज्य परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति उसके एक तिहाई सदस्यों से होगी।
बैठकों की प्रक्रिया:

7-(1) सदस्य-सचिव राज्य परिषद् की किसी बैठक के लिए कम से कम चौदह दिन की स्पष्ट नोटिस, उसमें बैठक का दिनांक, समय और स्थान बताते हुए देगा।

(2) यदि परिषद् के सदस्य गणपूर्ति के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो अध्यक्ष बैठक को किसी अन्य दिनांक के लिए स्थगित कर सकेगा।

(3) राज्य परिषद् की किसी बैठक के समक्ष लाये जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

(4) किसी संकल्प अथवा प्रश्न पर मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(5) सदस्य-सचिव किसी बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उस बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा।

राज्य परिषद् के कर्तव्यों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

8-(क) स्कीम से सम्बन्धित समस्त मामलों और राज्य में उनके क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(ख) वरीयता वाले कार्यों का निर्धारण करना;

(ग) अनुश्रवण एवं निवारण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करना और सुधार के लिए सिफारिश करना;

(घ) अधिनियम और इसके अधीन स्कीमों के बारे में सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु यथासम्भव प्रोत्साहन देना;

(ङ) राज्य में अधिनियम और स्कीमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना एवं राज्य परिषद् के साथ ऐसे क्रियान्वयन का समन्वयन करना;

(च) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य या कृत्य जो उसे राज्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जाय;

(ज) राज्य परिषद् को राज्य में संचालित स्कीमों का मूल्यांकन प्रारम्भ करने और उक्त प्रयोजन के लिए राज्य में स्कीमों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने एवं करवाने की शक्ति होगी।

कार्यकारिणी समिति:-

9-(1) राज्य परिषद् सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन और कृत्यों के पालन में अपनी सहायता करने के लिए कार्यकारिणी समिति नाम की एक समिति का गठन करेगी;

(2) उप नियम(1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :

1	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास।	उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष(पदेन)
2	रोजगार गारण्टी आयुक्त / आयुक्त, ग्राम्य विकास	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
3.	संयुक्त सचिव, /विशेष सचिव, ग्राम्य विकास(मनरेगा)	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
4	वित्त नियंत्रक, आयुक्त, ग्राम्य विकास का कार्यालय	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य(पदेन)
5	निदेशक, सामाजिक लेखा	उत्तर प्रदेश(महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) सामाजिक लेखा संगठन	सदस्य(पदेन)
6	आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त (मनरेगा)	उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य-सचिव (पदेन)

कार्यकारिणी समिति के कृत्य:-

10- (1) राज्य परिषद् के सामान्य अधीक्षण और निदेशों के अधीन, कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :

(क) राज्य परिषद् के विनिश्चयों को प्रभावी करने के लिए उपाय करना;

(ख) राज्य परिषद् के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का प्रबन्ध करना;

(ग) राज्य परिषद् के कार्यों के संबंध में व्यय की मंजूरी देना;

(घ) तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञ दलों की नियुक्ति करना और अधिनियम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सलाह देना;

(ङ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो राज्य परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाय।

(2) कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अथवा यदि राज्य परिषद् द्वारा अपेक्षा की जाय तो अधिक बार होगी।

राज्य परिषद् की निधियां-

11- (1) राज्य परिषद् अपने कार्यों और अधिनियम अथवा इन नियमों के अधीन उसे सौंपे गये कार्यों पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य रोजगार गारण्टी निधि द्वारा उसे जारी किये गये वार्षिक अनुदान से करेगी।

(2) राज्य परिषद् की निधियां राज्य परिषद्(राज्य शेर) द्वारा यथा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से प्रचालित की जायेंगी।

अनुराग श्रीवास्तव

प्रमुख सचिव।